(46)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांक:– 718 दिनांक:– 11.9.09

o/c

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

विषय :– पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जे0 एस0 डबल्यु0 स्टील लिमिटेड, झारखण्ड का आयरन एवं मैगनीज ओर (Ores) की माईनिंग के लिये सारंडा वन प्रमंडल अन्तर्गत 999.90 हे0 रक्षित वनभूमि (रीजर्व फौरेस्ट) अपयोजन का प्रस्ताव के विरूद्ध 998.07 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में ।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर का पत्रांक 1145 दिनांक 03.08.2009

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मेसर्स जे0 एस0 डब्लू0 के पक्ष में लीज क्षेत्र की सीमा में 999.90 हे0 वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त लीज क्षेत्र की सीमा के बाहर 18.60 हे0 वन भमि तथा 82.64 हे0 गैर वन भूमि कुल 1,101.140 हे0 भूमि का उपयोग प्रस्तावित है ।

खान मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या 5/108/2008–M (iv) दिनांक 04.09.2008 के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में लौह एवं मैगनीज अयस्क खनन के लिये अंकुआ रक्षित (R.F) वन में 999.90 हे0 क्षेत्र पर लीज की स्वीकृति दी गई है जो प्रस्ताव के अनु0–3 पर संलग्न है । इस पत्र के क्रम में खनन एवं भूतत्व विभाग, खान निदेशालय का पत्रांक 1091/एम दिनांक 10.09.2008 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा को निदेश दिया गया है कि खनन पट्टा की स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के धारा 2 के तहत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय । इस पत्र को अनुलग्नक 4 पर देखा जा सकता है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

राज्य सरकार ने मेसर्स जे0 एस0 डब्लू0 स्टील के साथ 10 मिलीयन टन प्रतिवर्ष क्षमता के स्टील प्लाँट के स्थापना के संबंध में दिनांक 09.11.2005 को Memorandum of Understanding पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी कंडिका 4.3 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण को लौह अयस्क के खनन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में हर संभव सहयोग देगी । Memorandum of Understanding प्रस्ताव के अनुलग्नक – 6 पर देखा जा सकता है ।

1 प्रस्ताव अपयोजन की स्थिति विभिन्न कम्पार्टमेन्ट में दिखाते हुये एक नक्शा प्रस्ताव के अनुलग्नक 1बी के रूप में संलग्न किया गया है । नक्शे के अनुसार कम्पार्टमेन्टवार वन भूमि का निम्नवत् उपयोग किया जाना है

क्र0 सं0	प्रयोजन	कम्पार्टमेन्ट संख्या
1	खनन /रोड/आधारभूत संरचना	22(P), 23(P), 25(P), 26, 27(P), 28(P), and 29 (P)
2	कन्वेयर बेल्ट	30, 31, 33, 36 and 37

आपके कार्यालय पत्रांक 1939 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राज्य सरकार को खनन के दृष्टिकोण से Inviolate compartments के संबंध में एक प्रस्ताव दिया गया है । भेजे गये प्रस्ताव मे सारंडा वन प्रमंडल के जिन कम्पार्टमेन्टस को inviolate रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है, की सूची से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि इस विषयगत प्रस्ताव के कम्पार्टमेन्ट संख्या 23, 26, 31, 32, 33, 36 एवं 37 को inviolage compartment की श्रेणी मे रखा गया है । इस प्रकार, अपयोजन से संबंधित कुल 12 कम्पार्टमेन्टस के विरूद्ध 7 कम्पार्टमेन्ट inviolate क्षेत्र मे स्थित प्रस्तावित है । इन 7 कम्पार्टमेन्टस में कम्पार्टमेन्ट संख्या 23 एवं 26 मे खनन तथा शेष 5 मे कन्वेयर बेल्ट स्थापना हेतु अपयोजन का प्रस्ताव है ।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस क्षेत्र मे दो चरणों मे खनन कार्य प्रस्तावित किया गया है । प्रथम चरण में कुल 800.414 हे0 भूमि का उपयोग किया जाना है, जिसमें 64.82 हे0 गैर मजरूआ भूमि का उपयोग रेलवे लाईन, हाई टेंशन लाईन, ढुलाई की संरचना तथा टाउनशिप की स्थापना के लिये है । इसके अतिरिक्त 17.82 हे0 निजी भूमि का उपयोग किया जाना है । इस प्रकार प्रथम चरण मे प्रस्तावित 717.774 हे0 वन भूमि का उपयोग किया जायेगा एवं इसमें 10.48 हे0 वन भूमि को सेफ्टीजोन /ग्रीन बेल्ट के रूप में रखा जायेगा । **इस कारण प्रथम चरण में 707.294 हे0 वन भूमि का ही अपयोजन होगा ।** द्वितीय चरण में सेफ्टीजोन सहित 300.726 हे0 वन भूमि का उपयोग किया जाना है । द्वितीय चरण मे उपयोग मे लाई जाने वाली भूमि मे से सेफ्टीजोन /ग्रीन बेल्ट का रकबा 9.95 हे0 है । **इस प्रकार द्वितीय चरण में 290.776 हे0 वन भूमि का ही अपयोजन होगा । दोनों चरणों को मिला कर इस परियोजना में 998.70 हे0 वन भूमि का अपयोजन होगा ।** प्रस्ताव से संबंधित अन्य सूचना निम्नवत है :-

1. **मेसर्स जे0एस0डब्लू0, लौह /मैगनीज अयस्क खान के लिये समर्पित अपयोजन प्रस्ताव मे प्रस्तावित वन भूमि /गैर- वन भूमि का कार्य ब्यौरा निम्नवत् है:**

क्र0 सं0	प्रस्तावित वन भूमि का कार्य ब्यौरा	वन भूमि लीज क्षेत्र की सीमा में (हे0)	वन भूमि लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर (हे0)	गैर वन भूमि लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर (हे0)	प्रस्तावित कुल अपयोजन क्षेत्र (हे0)
1	2	3	4	5	6
1	Mining Area	673:53	-	-	673.53
2	(a) Waste dump		-	-	100.54
	D1	30.65			
	D2	69.89			
	(b) Sub Grade dump	44.11			44.11
3	Site office manager office etc. Temporary Structure etc.	5.04	-	-	5.04
4	Magazine & Securities Check post with safety Zone Area.	28.93	-	-	28.93
5	ROM stacking crushing & sizing facilities	34.04	-	-	34.04
6	Water reservoir & treatment plant	9.39	-	-	9.39

7	Built up area (maintenance facilities etc.)	51.33	-	-	51.33
8	Roads	15.41	-	-	15.41
9	Green belt / Safety zone area	20.43	-	-	20.43
10	Access Road to SAIL (including road safety Zone)	17.15	-	-	17.15
11	Conveyor Corridor	-	10.60	4.40	15.00
12	Widening & strengthening of existing approach road	-	8.00	1.20	9.20
13	Loading complex, Railway line, HT Line	-	-	48.71	48.76
14	Township	-	-	28.33	28.22
	Total :-	**999.90**	**18.60**	**82.64**	**1101.14**

2 प्रस्तावित कुल क्षेत्र में खनिकर्म फेज – I एवं फेज – II के अनुसार करने का प्रस्ताव है जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	प्रस्तावित वन भूमि का कार्य ब्यौरा	**Phase – I**			**Phase - II**			कुल क्षेत्र (हे0)
		वन भूमि लीज क्षेत्र की सीमा में (हे0)	वन भूमि लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर (हे0)	गैर–वन भूमि	वन भूमि लीज क्षेत्र की सीमा में (हे0	वन भूमि लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर (हे0)	गैर–वन भूमि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mining Area	452.644	-	-	220.886	-	-	673.53
2	(a) Waste dump		-	-	69.89	-	-	30.65
	D1	30.65						69.89
	D2							
	(b) Sub Grade dump	44.11						44.11
3	Site office manager office etc. Temporary Structure etc.	5.04	-	-	-	-	-	5.04
4	Magazine &	28.93	-	-	-	-	-	28.93

	Securities Check post with safety Zone Area.							
5	ROM stacking crushing & sizing facilities	34.04	-	-	-	-	-	34.04
6	Water reservoir & treatment plant	9.39	-	-	-	-	-	9.39
7	Built up area (maintenance facilities etc.)	51.33	-	-	-	-	-	51.33
8	Roads	15.41	-	-	-	-	-	15.41
9	Green belt / Safety zone area	10.48	-	-	9.95	-	-	20.43
10	Access Road to SAIL (including road safety Zone)	17.15	-	-	-	-	-	17.15
11	Conveyor Corridor	-	10.60	4.40	-	-	-	15.00
12	Widening & strengthening of existing approach road	-	8.00	1.20	-	-	-	9.20
13	Loading complex, Railway line, HT Line	-	-	48.71	-	-	-	48.71
14	Township	-		28.33				28.33
	Total :-	**699.174**	**18.60**	**82.64**	**300.726**			**1101.14**

3. आवेदक द्वारा अपयोजन हेतु आवेदित क्षेत्र के फेज – I एव फेज – II एव समेकित अपयोजन क्षेत्र (फेज – I एव फेज – II) संबंधित मैप क्रमशः Plate – ID, IE एव IF के रूप मे प्रस्ताव मे संलग्न है ।

4. प्रस्तावित अकुआ लौह अयस्क खनन पट्टा के समीपस्थ पूरब मे मेसर्स सेल का गैकलीलन लौह अयस्क खान, चिड़िया (धोबिल) खनन पट्टा तथा अजीताबुरू खनन पट्टा तथा पश्चिम मे सुकरीलुटूर खनन पट्टे सटे हुये हैं संबंधित मैप Plate – IC के रूप में प्रस्ताव में संलग्न है ।

इस क्षेत्र में सर्वश्री जे0एस0डब्ल्यु0 के अतिरिक्त अन्य प्रयोक्ता अभिकरणों यथा सेसा गोवा, एस्सार स्टील लि0 तथा टाटा स्टील क0 को लौह अयस्क खान के लिये खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा अनुशंसित किया गया है । इन तीनों कम्पनीयों का अपयोजन प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है ।

प्रस्तावित क्षेत्र के नजदीक स्थित सर्वश्री सेल के खदानों की स्थिति एवं उनसे संबधित कम्पार्टमेन्ट की विवरणी निम्नवत: है :—

क्र० सं०	लीज का नाम	कुल रकबा (हे0)	कम्पार्टमेन्टस संख्या जिनमें लीज स्थित है	खंडित क्षेत्र (हे0)	वर्तमान स्थिति
1	मेकलीलन (बुद्धाबुरू)	823.97	10, 11, 12, 19, 20, 21, 27, 28 एवं 29	73.251	वर्तमान मे खनन कार्य बन्द है । इस क्षेत्र मे 379.228 हे0 वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त है, जो सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।
2	अजिताबुरू	323.88	10, 12, 28, 29	58.53	वर्तमान मे खनन कार्य बन्द है । इस क्षेत्र मे 153.036 हे0 वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त है, जो सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।
3	चिड़िया (धोबिल)	513.00	19, 21, 22, 24, 27 एवं 28	513.00	29.41 हे0 कार्यरत खदान
4	सुकरीलुटूर	609.83	25, 28, 29, 30, 40 एवं 41	609.83	33.40 हे0 कार्यरत खदान । इस क्षेत्र में नवीकरण सहित कुल 278. 325 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त है जो सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।

5. मेसर्स जे0एस0डब्ल्यु0 के अंकुआ लौह अयस्क खान के प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव कुल क्षेत्र 1101. 14 हे0 में 999.90 हे0 खनन एवं खनिकर्म से संबधित कार्य हेतु कन्वेयर एव रास्ता का चौडीकरण के लिये 18.60 हे0 वन भूमि एवं रेलवे यार्ड टाउनशीट एवं अन्य कार्य हेतु 82.64 हे0 रैयती एव सरकारी भूमि है । आवेदित वन भूमि क्षेत्र से कोई गांव एवं निवारी का विस्थापन होने की सूचना नही है ।

6. प्रयोक्ता अभिकण ने लीज क्षेत्र के बाहर 18.60 हे0 वन भूमि, कन्वेयर कोरिडोर, वर्तमान पथ के चोडीकरण के कार्य के लिये अपयोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मे शामिल किया है । खनिज अयस्क के परिवहन के लिये कन्वेयर कोरिडोर एवं मौजुद पथ का चोडीकरण, खनिकर्म की आवश्यकता जताते हुए अपयोजन का अनुरोध किया गया है ।

7. प्रयोक्ता अभिकरण ने गैर – वन भूमि क्षेत्र में भी खनन कार्य से संबंधित अन्य कार्य यथा आशिक रूप से कन्वेयर कोरिडोर रास्ता का चौडीकरण, लोडिंग कम्पलेक्श, रेलवे लाईन /साईडिंग एवं टाउनशीप के लिये कुल 17.82 हे0 रैयती भूमि एवं 64.82 हे0 गैर मजरूआ भूमि कुल 82.64 हे0 गैर वन भूमि का अपयोजन हेतु प्रस्ताव में शामिल किया है ।

8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित रैयती क्षेत्र 82.64 हे0 से संबंधित प्लॉट को केडेस्ट्रल मैप में चिन्हित किया गया है एवं प्रत्येक प्लॉक के खतियान के प्रति प्रस्ताव में एनेक्सचर XIII A एवं XII B के रूप में संलग्न है । खतियान के अनुसार आवेदित सभी जमीन का किस्म में जंगल झाडी दर्ज नही है ।

क्षेत्रीय वन संरक्षक, सिंहभूम से प्राप्त विषयोक्त प्रस्ताव के संबंध में अन्य सूचनाएँ निम्नवत् है :

(i) विषयोक्त प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित नये प्रपत्र में है ।

(ii) प्रस्ताव के प्रपत्र भाग 1 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचनाएँ अंकित की गई है जबकि प्रपत्र भाग II, III एवं III A में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल, वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा एवं क्षेत्रीय वन संरक्षक, सिंहभूम द्वारा सूचनाएँ अंकित की गई है ।

(iii) सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोशीट जिसमें प्रस्तावित वन भूमि को दर्शाया गया है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

(iv) उक्त खनन पट्टा का माईनिंग प्लान, IBM के पत्रांक संख्या 314 (3) /2008 MCCM/C/MP 30 Nagpur दिनांक 27.01.2009 से स्वीकृत है जो प्रस्ताव में संलग्न है । अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है । अनु0 – 14

(v) लागत लाभ विशलेषण प्रस्ताव के साथ अनु0 – 2 में संलग्न है ।

(vi) प्रयोक्ता अभिकरण ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत लीज क्षेत्र 999.90 हे0 वन भूमि के सीमाकन के सेफ्टीजोन क्षेत्र 20.43 हे0 को छोड़कर शेष क्षेत्र 979.47 हे0 शुद्ध अपयोजन के लिये क्षतिपूरक वनरोपण की शर्त पर सहमति दी है । इस संबंध में मुझे कहना है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने कुल 1018.50 हे0 वन भूमि के अपयेजन का प्रस्ताव दिया है, जिसके खनन से संबंधित सेफ्टीजोन का कुल रकबा 20.43 हे0 शामिल है । सेफ्टीजोन रकबा का अपयोजन नही होता है इसलिये इस परियोजना के लिये 998.07 हे0 वन भूमि का अपयोजन होगा और इतनी ही गैर वन भूमि उन्हे उपलब्ध करानी होगी ।

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 2519.83 एकड़ गैर – मजरूआ भूमि गुमला जिला के डुमरी अंचल के अन्तर्गत अपर समाहर्ता गुमला ने प्रयोक्ता अभिकरण को देने की सहमति दी है । उक्त गैर मजरूआ भूमि की वनरोपण के लिये उपपयुक्त होने की प्रमाणिकता संबंधित पत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल से प्राप्त है । संबंधित पत्र /प्रमाण प्रस्ताव में एनेक्सचर XA एवं XB के रूप में संलग्न है । भारत सरकार से स्टेज । स्वीकृति प्राप्त होने के बाद स्थल विशिष्ट क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समर्पित की जायेगी ।

क्षतिपूरक वनरोपण की चिन्हित भूमि की विवरणी प्रस्ताव में एनेक्सचर XI के रूप में संलग्न है । प्रयोक्ता अभिकरण ने वर्तमान में 2519.83 एकड में से 1786.14 एकड जमीन अंकुआ लौह अयस्क खनन परियोजना के लिये सुरक्षित रखा है । शेष भूमि के लिये प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता समर्पित किये हैं जो प्रस्ताव के साथ एनेक्सचर XI के रूप में संलग्न है ।

(vii) जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ प्रपत्र भाग – II की कंडिका – 12 में अंकित है । एनेक्सचर XI A के रूप में संलग्न है ।

(viii) प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित खनन पट्टा के समीपस्थ स्थानीय निकाय /ग्राम पंचायत /ग्राम सभा के तीन ईकाई के द्वारा पारित अनापत्ति प्रमाण पत्र एनेक्सचर XIA के रूप में संलग्न है ।

(ix) प्रस्तावित अंकुआ लौह अयस्क खान का पर्यावरर्णीय स्वीकृति के क्रम में टी0ओ0आर0 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक No. J-11015/1230/2007 IA.II(M) दिनांक 04.09.2008 से टी0ओ0आर0 निर्गत है । एनेक्सचर – VIII के रूप में संलग्न है । पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार के विचाराधीन है।

(x) इस भूमि अपयोजन में लोगों के विस्थापन नही होना प्रस्तावित है ।

(xi) प्रस्तावित अंकुआ लौह अयस्क खनन पट्टा के क्षेत्र के अन्तर्गत अपयोजन प्रस्तावित क्षेत्र 999.90 हे0 वन भूमि के वृक्षों का सैम्पलिंग सगणना हेतु मैप में 10 प्रतिशत अर्थात 100 हे0 में रेन्डम विधि से सैम्पल प्लॉट चिन्हित करके वृक्षों की गणना कार्य कराया गया है । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैम्पल प्लॉट का अस्थाई रूप से सीमाकन करके 30 से0मी0 गोलाई से उपर विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की गणना की गई है । कुल 100 हे0 में वृक्षों की कुल संख्या 29711 है । लीज क्षेत्र 999.90 हे0 में सेफ्टीजोन क्षेत्र 20.43 हे0 को छोडकर शेष अपयोजन क्षेत्र 979.47 हे0 में अवस्थित संभावित वृक्ष 291010 होंगे, अपयोजन की

स्वीकृति की स्थिति मे विदोहन की आवश्यकता होगी । वृक्षों की गणना हेतु चिन्हित सैम्पल प्लॉट एव वृक्षों की गणना सूची प्रति प्रस्ताव मे एनेक्सचर XV के रूप में संलग्न है ।

(xii) सारण्डा वन प्रमंडल क सम्पूर्ण क्षेत्र सिंहभूम गज आरक्ष्य का कोर एरिया के रूप में अधिसूचित है । खनन पट्टा की स्वीकृति से समीपवर्ती वनों एवं वन्य प्राणियों तथा गज के वास स्थल पर प्रतिकूल पभाव पड़ना स्वाभाविक है तथा समीपस्थ गॉवों के रहन–सहन एव जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है । अतः अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति की स्थिति में इन प्रतिकूल प्रभाव / परिस्थितियो से निपटने क लिये वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल द्वारा एक व्यापक वित्तपोषित योजना तैयार की गई है जो वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण एवं समीपवर्ती गावों के विकास से संबंधित है, प्रस्ताव मे एनेक्सचर – XVI के रूप मे संलग्न है । इसी के क्रम मे सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन सरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड रॉंची के ज्ञापांक 493 दिनांक 14.07.2009 द्वारा सूचित किया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिये समेकित Mitigation Plan तैयार किया जायेगा जिसका संपोषण विभिन्न प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा किया जायेगा । इस आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित योजना को स्वीकार करने क संबंध में आप अपना मंतव्य सरकार को देना चाहेंगें । वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित योजना का कुल वित्तिय लक्ष्य 730.98 लाख रू0 है ।

(xiii) प्रस्तावित वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान / वन्य प्राणी आश्रयणी का हिस्सा नहीं है ।

(xiv) वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सूचित किया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में पुरातत्व से संबंधित कोई इमारत नहीं है ।

वन प्रमडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल ने प्रपत्र ।। में सूचित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि Moist Mixed deciduous forest प्रकृति का है, जबकि क्षेत्रीय मुख्य वन सरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर ने अपने प्रसगाधीन पत्र मे इस वन को Dry deciduous साल वन की श्रेणी में रखा है । इस संबंध मे मुझे कहना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा की जा रही Forest Type वर्गीकरण में सारंडा के अधिकाश वनों मे नमी वाले वनो के रूप में चिन्हित किया है । इस लिये उचित यही होगा की भारतीय वन सर्वेक्षण की अनुशसा के आलोक में ही वनो का Ecology के आधार पर वर्गीकरण किया जाय ।

वन भूमि अपयोजन के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर की अनुशंसा IIIA में उपलब्ध है । क्षेत्रीय मुख्य वन सरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर ने इस प्रपत्र की कंडिका 16 A में भारत सरकार के विभिन्न पत्रों का हवाला देते हुए उचित स्तर पर न्यायपूर्ण /निर्णय लेने की अनुशसा की है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर ने भारत सरकार के जिन पत्रों का उल्लेख किया है, उसके संबंध में निम्नवत् विवरणी दी जा रही है :–

i. 11–28 / 2003–FC दिनांक 22.05.2003 – इस पत्र में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अपना निर्णय संसूचित किया है कि रक्षित वनों (Reserve Forests) में वैसी सभी वणिज्यिक गतिविंधिया बन्द कर दी जाये जो राष्ट्रीय महत्व की नही हो तथा सामाजिक अर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नही हो ।

ii. 11–28 / 2002 FC दिनांक 16.06.2003 – रक्षित वनों (Reserve Foresrt) मे एक समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियां बन्द करने का निदेश दिया गया है ।

iii. 11–9 / 98 FC दिनांक 04.05.2001 – वन्य प्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यानों मे वन भूमि के अपयोजन के संबंध में दिशा निदेश निर्गत करते हुए निदेश दिया है कि अपयोजन प्रस्ताव देने के पूर्व इन प्रस्तावों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त कर ली जाय । इस विशिष्ट अपयोजन प्रस्ताव पर यह निदेश लागू नही होगा क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र आश्रयणी /राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है । इस क्षेत्र को गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

उपरोक्त तीनो पत्रो की छांयाप्रति संलग्न की जाती है । क्षेत्रीय मुख्य वन सरक्षक सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा उल्लेखित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्र संख्या 11–28 / 04 FC दिनांक 10.03 2004 इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

वन सरक्षण (अधिनियम) 1980 के तहत निर्गत दिशा निर्देश में रक्षित वन (R.F.) में अपयोजन के संबध मे निम्नवत: निदेश दिये गये हैं :–

Diversion of forest land within Reserve Forest :- As per the State of Forest Report, 2001 published by Forest Survey of India, out of 76.84 million hectare of total forest area, roughly 55% is Reserve Forest area. These forests are considered as good forests with plenty of bio diversity and it is necessary too keep these forests intact. As such, any proposal for diversion in Reserve Forest should be very carefully examined and detailed justification after exhausting all alternatives for location the project in this forest are should be given while forwarding the proposal.

प्रस्तावित भूमि गज परियोजना कोर एरिया मे स्थित एव सघन वन के रूप में अवस्थित है और साथ ही एसा नहीं की यह क्षेत्र अलग – थलग पड़ा हुआ है, बल्कि ये बड़े भू–भाग पर लगातार फैले हुये वनो का हिस्सा है । यह क्षेत्र में हाथियों एवं वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र मे खनन से हाथियो के पार्यावास (Habitit) क्षेत्र का विखंडन (Fragmantation) होगा । भारत सरकार के इस दिशा निर्देश के आलोक मे किसी भी नये रक्षित वन (R.F), जिसमें पूर्व खनन कार्य नही हुआ है, के अपयेाजन की अनुशसा नहीं की गई है । मात्र वैसे रक्षित वन, जिसमें पूर्व मे स्वीकृति लीज के अन्तर्गत यदि खनन कार्य किया गया है और इसके विस्तार के क्रम में नये भूमि का अपयोजन इस क्षेत्र में किया जाना है, तो वैसे मामलों में ही वन भूमि अपयोजन की अनुशसा की गई है ।

रक्षित वन (R.F) में वन भूमि अपयोजन के सबध मे जो भारत सरकार के दिशा निर्देश उसी के क्रम मे सर्वश्री जे0एस0डब्ल्सयु0 स्टील लि0 अपने पत्र में दिनाक 02.09.2009 (छायाप्रति सलग्न) के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया है कि अन्य राज्यों में रक्षित वन (R.F) खनन की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है । भारत सरकार के द्वारा अन्य राज्यों को दी गई स्वीकृति के आलोक में, आवेदित क्षेत्र में खनन कार्य स्वीकृत करने की अनुशसा देने का अनुरोध प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा दिया गया है । भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति का आधार क्या है, इस पर मुझे मतव्य नहीं देना है लेकिन प्रस्तावित खनन परियोजना हेतु वन भूमि अपयोजन की अनुशसा करना भारत सरकार के निदेश के आलोक मे प्रतिकूल होगा ।

अनु0 यथोक्त ।
प्रस्ताव चार प्रतियो में ।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक 718 दिनांक 11.9.09

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/9/09

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉची ।

APPENDIX - 1

Telegram : PARYAVARAN
NEW DELHI
Telephones:
Telex: W-66185 DOE IN
Fax: 4360678

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
PARYAVARAN BHAVAN,C.G.O. COMPLEX
LODHI ROAD, NEW DELHI-110 003

No. 11-9/98-FC

4-5-2001

To

The Secretary (Forests),
All States & Union Territories

Sub : **Guidelines for diversion of forest - land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act,1980 that are part of National Parks and Wildlife Sanctuaries**

Sir,

I am directed to invite your attention to the guidelines circulated by this Ministry vide letter of even no. dated 4-12-98 regarding submission of proposals for diversion of forest land in Sanctuaries/National Parks and Tiger Reserve areas. You may be aware that subsequent to the issue of this guidelines, the Hon'ble Supreme Court of India has passed two important orders relating to National Parks and Sanctuaries - one dt. 13.11.00 in WP No.337/95, where they have directed that pending further orders, no de-reservation of Sanctuaries and National Parks shall be effected. In the other order dt. 14.2.00, in WP No. 202/95, the Hon'ble Supreme Court has restrained all the States from ordering even the removal of dead, diseased, dying or wind-fallen trees and grasses etc. from any National Park or Sanctuary.

2. In view of the above orders of the Supreme Court, the State Governments are advised not to submit any proposal for diversion of forest land in National Parks and Sanctuaries under the Forest (Conservation) Act, 1980 without seeking prior permission of the Supreme Court. The earlier guideline issued by the Ministry may be considered modified to this extent.

Yours faithfully

Sd/-
(A.N. PRASAD)
Deputy Inspector General of Forests

Copy to:
1. PCCFs/Chief Wildlife Wardens/Nodal Officers of all States & Union Territories
2. Regional CCFs(Central) and CF(Central) for information and necessary action.

Sd/-
(A.N. PRASAD)
Deputy Inspector General of Forests

M.K. SHARMA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPL. SECY.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

12 3 JUN 2003

D.O.No.11-28/2002-FC

June 16, 2003

Dear Shri Krishnan,

JUN 2003

As you will appreciate that mining in the 'reserved forest' area is totally against the principles of forest conservation and that too for a longer period. In most of the cases, these commercial liabilities have been created prior to the enactment of the Forest (Conservation) Act, 1980. It has also been observed in some cases that mining activities have continued for more than 70-80 years. The continued mining in the forest area is detrimental to the forest health, existing wildlife, habitat and the surrounding environment. This must be brought to a halt as early as possible.

To begin with, the Central Government is not allowing such commercial activities in National Parks, Sanctuaries etc., unless the projects are of national importance having multi-dimensional socio-economic benefits. Now, there is an urgent need to extend this principle to all the Reserved Forests and the dense forests as well. For longevity of our precious forests and for environmental considerations, we should not allow mining in the Reserved Forest and dense forest areas for an indefinite period.

It is desired and it is also need of the time that we should initiate steps to phase out such commercial activities from the reserved forest and dense forest areas in a time bound manner. But, considering the principle of natural justice, we should give ample opportunity and sufficient time to various user agencies involved in the continued mining operations in the forests areas, a liability created over a period of time, to wind up their activities in a phased manner. While doing so, if necessary, we may explore the possibilities of gradually shifting to under-ground mining for which the incentives may be provided to the mining sector.

May I request you to consider the matter in respect of your State and bring a **radical change for the betterment of our forests and the environment** for future generations. Further, you may like to call a meeting of the Department of Mines of your State and various mining lease holders to discuss these matters and gradually shift to total closure of mining in Reserved Forest and dense forest areas.

With regards, Yours sincerely,

(M.K. Sharma)

वन एवं पर्यावरण विभाग
झारखंड, रांची
6548
2929
24/6/03

Shri G. Krishnan,
Chief Secretary,
Government of Jharkhand
Secretariat,
Ranchi - 834 001

पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन : 4361509, फैक्स : (011) 4363957
PARYAVARAN BHAWAN, C.G.O. COMPLEX, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003 TEL.: 91-11-4361509 FAX : 91-11-4363957 E-mail : mmks@nic.in

F.No.11-28/2003-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003.
New Delhi, the 21st May, 2003.

To,

The Secretary (Forests),
Government of Jharkhand,
Ranchi.

Sub: Grant of temporary working permission in the already broken up area in Karampada RF in Singhbhum West District, Jharkahnd in favour of M/s R. McDill & Company Ltd. over 19.615 ha. broken up area and in favour of M/s Misri Lall Jain & Sons Ltd. over 49.195 ha. broken up area respectively.

Sir,

With reference to User Agencies' letters no. Nil dated: 24-3-2003, 25-4-2003 respectively regarding above-mentioned subject, I am directed to inform you that the Central Government has **rejected** the request of the two User Agencies for grant of temporary working permission for mining over already broken up area.

The Central Government has also desired that the State Government will take steps to stop all those commercial activities in Reserve forest areas, which are not having national importance with socio-economic dimensions. The action should be taken in a time-bound manner giving opportunities to the user agencies to wind up such activities.

Further, the two user agencies as mentioned above, should also be asked to incorporate the process of winding up through their proposals.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-

(ANURAG BAJPAI)
Asstt. Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Jharkhand, Ranchi.
2. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Jharkhand, Ranchi.
3. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office(EZ), Bhubaneswar.
4. User Agencies.
5. File.

(ANURAG BAJPAI)
Asstt. Inspector General of Forests

झारखण्ड सरकार
2003
प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय
संख्या 552

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उनके पत्रांक [illegible]
[illegible] दिनांक 12.7.2002, जिसकी प्रतिलिपि [illegible]
है, द्वारा इस कार्यालय को [illegible]